बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 28.5.15

संख्या–7/स्था0–1–4–05/2011सा0प्र0 7803 /भारत–संविधान के अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के परामर्श से, बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**– (1) यह नियमावली बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2015 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम 2(ख) का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली का नियम 2(ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–
"(ख) असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के पद पर भर्त्ती उच्च न्यायालय द्वारा नियम 24 के अधीन संपुष्ट या नियम 26 के अधीन नियुक्त असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) की प्रोन्नति द्वारा परिशिष्ट 'च' में यथाअंतर्विष्ट उपयुक्तता प्राचल (पैरामीटर) के अधीन रहते हुए वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर की जायेगी।"

3. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 में निम्नलिखित एक नया परिशिष्ट 'च' जोड़ा जायेगा:–

"परिशिष्ट–च

असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) से असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) संवर्ग में अधिकारियों की प्रोन्नति हेतु प्राचल (पैरामीटर)

(1) असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) संवर्ग में पदाधिकारी 5 वर्षों से अन्यून सेवा अवश्य कर ली हो।

(2) पदाधिकारी को विगत 5 वर्षों में उनके द्वारा पारित न्याय निर्णयों के मूल्यांकन के आधार पर कम–से–कम 40 अंक प्राप्त की हो, इस प्रयोजनार्थ सामान्यतः उनके द्वारा तीन फ़ौजदारी एवं दो दीवानी अधिकारिता के मुकदमों में पारित न्यायादेशों का मूल्यांकन किया जायेगा।

(3) 20 त्रैमासिकों के दौरान अथवा उसी अनुपात में विगत 5 वर्षों के दौरान पदाधिकारी को कार्य संपादन आंकने में Poor/Cl/Fair/Average की 10 या अधिक प्रविष्टियाँ प्राप्त न हों, जिसमें असफल होने पर, वह प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ निरर्हित होगा।

स्वपुनर्मूल्यांकन के साथ समर्पित स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, सुसंगत प्रविष्टियों के संबंध में विचार किया जा सकेगा।

(4) पदाधिकारी के विगत 5 वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में की गयी प्रविष्टि के आधार पर उपयुक्तता का मूल्यांकन होगा।

(5) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद, यथा और जब अपेक्षित हो, परिशिष्ट 'च' में अंतर्विष्ट प्राचल (पैरामीटर) को उपांतरित कर सकेगी।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से
28/5/15
(मो0 जफर रकीब)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7 / स्था0–1–4–05 / 2011सा0प्र0 7803 / पटना–15, दिनांक 28.5.15

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना की दो प्रतियाँ सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

1. अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

28/5/15

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7 / स्था0–1–4–05 / 2011सा0प्र0 7803 / पटना–15, दिनांक 28.5.15

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–09, दिनांक 26.05.2015 के प्रसंग में / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना / सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/5/15

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 28.5.15

संख्या–7 / स्था0–1–4–05 / 2011सा0प्र0 7804 / अधिसूचना संख्या–7803 दिनांक 28.05.2015 का संलग्न अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से

28/5/15

(मो0 जफर रकीब)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7 / स्था0–1–4–05 / 2011सा0प्र0 7804 / पटना–15, दिनांक 28.5.15

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना की दो प्रतियाँ सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

1. अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

28/5/15

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7 / स्था0–1–4–05 / 2011सा0प्र0 7804 / पटना–15, दिनांक 28.5.15

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–09, दिनांक 26.05.2015 के प्रसंग में / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना / सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/5/15

सरकार के उप सचिव।

Govt. of Bihar

General Administration Department

Notification

Patna-15, Date 28.5.15...

No-7/Ashta-1-4-05/2011GAD.....7803...../In exercise of the powers conferred by Article 234 of constitution of India the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules-1955 in consultation with High Court, Patna and Bihar Public Service Commission :-

1. **Short title, extent and commencement.** –(1) This Rules may be called Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Amendment Rules. 2015
   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
   (3) It shall come into force at once.

2. **Substitution of Rule 2 (b) of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955.-** Rule 2(b) of the said Rules shall be substituted by the following :-
   "(b)- Recruitment to the posts of Civil Judge (Senior Division) shall be made by the High Court, by promotion of Civil Judge (Junior Division) confirmed under Rule 24 or appointed under Rule 26, on the basis of seniority-cum-merit subject to the suitability parameters as contained in Appendix 'E'."

3. The following a new Appendix 'E' shall be added to the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955:-

"APPENDIX- E

Parameters for promotion of officers form Civil Judge (Junior Division) to the cadre of Civil Judge (Senior Division)

(1) The officer must have served for not less than 5 years in the cadre of Civil Judge (Junior Division).

(2) An officer must obtain minimum of 40% marks on the basis of evaluation of his judgments delivered in the last 5 years. Ordinarily Judgments passed in 3 criminal and 2 civil jurisdiction cases shall be evaluated for this purpose.

(3) In work performance appraisal, the officer must not have scored 10 or more entries of Poor/Cl/Fair/Average during the 20 quarters or in that proportion during last 5 years, failing which he shall stand disqualified for the purpose of promotion.

Explanation submitted with the self reappraisal, if any, may be considered in respect of relevant entries.

(4) Suitability shall be assessed on the basis of entries in the Annual Confidential Report of the last 5 years.

(5) The State Government, after the consultation with the High Court, as and when required, may modify the parameters contained in Appendix 'E'."

By order of the Governor of Bihar

28/5/15

(Md. Zafar Rakib)
Deputy Secretary to the Govt.

Memo no.-7/Ashta-1-4-05/2011GAD.....7803...../Patna-15, dated...28.5.15.....

Copies in duplicate along with its C.D. forwarded to Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh, Patna and E-Gazette cell, Finance Department, Bihar, Patna for Publication in Forth coming issue of extra ordinary Gazette.

2. Kindly send 200 (Two Hundred) Copies of this notification to General Administration Department.

28/5/15

Deputy Secretary to the Govt.

Memo no.-7/Ashta-1-4-05/2011GAD.....7803...../Patna-15, dated...28.5.15.....

Copy forwarded to the Accountent General, Bihar, Patna, Registrar General, High Court, Patna/Principal Secretary, Cabinet secretariat with reference to Cabinet item no.-09, dated 26.05.2015 Secretary, Law Department, Bihar/B.P.S.C., Patna/All District & Session Judges/All Departments/All Head of Departments and I.T. Manager, G.A.D. for information and necessary action.

28/5/15

Deputy Secretary to the Govt.